

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक

फोर्टिस हॉस्पिटल

सेक्टर-62 फेज-viii

मोहाली, चंडीगढ़-160062

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रिय रंजन पिता-कृष्ण मुरारी शर्मा ग्राम-पाली पो०+थाना-नौबतपुर जिला-पटना यू.एच.आईडीनं०-671566 चेक-फोर्टिस हेल्थ केयर लि० payble at -mohali	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) का क्रास चेक सं० 836409 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम/अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06-03-17

ज्ञापांक 344 (14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
211. फरवरी

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

मैक्स सुपर स्पेशलीटी/ पुष्पांजली क्रॉसलेय अस्पताल

डब्लू-3,सेक्टर-1 वैशाली,

गाजियाबाद- 201012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मंतोष कुमार पिता- बृज मोहन सिंह ग्राम-पो०-दहिला थाना-गायघाट जिला-मुजफ्फरपुर	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- ( दो लाख पचास हजार ) रुपया का क्रास चेक सं०...  
.....83.67.08.....मूल रूप में संलग्न है। (चेक Crosslay Remedies Ltd के नाम से निर्गत)।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा। चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए नहीं।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि या यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 343(14)

पटना, दिनांक 06.03.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री महेश्वर प्र० यादव  
मा.स.वि.स./सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.1.17

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
हेल्थ केयर ग्लोबल इंटर प्राइजेज लि०  
पी. कलींगा राव रोड, सम्पनगीराम नगर  
बंगलौर 560027 ।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रणधीर कुमार पिता-विरेंद्र कुमार यादव ग्राम-सैदाबाद पो०-मोहनपुर, थाना-राघोपुर जिला वैशाली	कैंसर रोग	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार ) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 1,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,50,000/- ( एक लाख पचास हजार ) रुपये का क्रास चेक सं०.....  
836417 मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा० आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 352 (14)

पटना, दिनांक 06-03-17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/सभी संबंधित मरीजों को/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. (सि.टी.)

सं० सं० 14 / एम 11-2 / 16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
टाटा स्मारक अस्पताल,  
परले, मुम्बई -400012

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सुरेन्द्र प्रसाद साह पिता-योगेन्द्र प्रसाद ग्राम-पचपैका पतौली पोस्ट-करीहरा थाना-उजियारपुर जिला-सुपौल केसफाइल नं०-सीपी० / 02169	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 / - (एक लाख ) स्वीकृत।
2	सबीता देवी पति-केदार सिंह ग्राम+पो०-चिन्तामनपुर थाना-पीपरा जिला-पूर्वी चम्पारण केसफाइलनं०-सीएन / 39885	कैंसर रोग	₹ 40,000 / - (चालीस हजार) स्वीकृत।
3	धीरज सिंह पिता-स्व. रंजीत सिंह ग्राम-पो०-मथिला थाना-कोरनसराय जिला-बक्सर केसफाइलनं०-सीपी० / 01437	कैंसर रोग	₹ 80,000 / - (अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	उषा देवी पति-लक्ष्मी साह ग्राम- मुरादपुर बंगरा पो०-कुबौली राम थाना-बंगरा जिला-समस्तीपुर केसफाइलनं०-सीपी० / 00855	कैंसर रोग	₹ 30,000 / - (तीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000 / -

3/3/17

पत्रांक 14 एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

बी०एम० बीडला,हार्ट रिसर्च, सेंटर

1/1 नेशनल लाईब्रेरी एवेन्यु

कोलकत्ता-700027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कुमार राजीव रंजन सिन्हा पिता-स्व. रंजीत सिंह ग्राम+पो०-मिसी थाना-बख्तियारपुर जिला-पटना	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836102 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30570709502, खाता धारक का नाम- बी०एम० बीडला हार्ट रिसर्च सेंटर कोलकत्ता, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-अलीपुर ब्रांच, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0000004 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

3/3/17

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान,  
मुकुन्दपुर, कोलकत्ता 700099

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुष्पा देवी पति-प्रभुनाथ सिंह ग्राम-करजनीया पो-बरगांव, थाना-मैरवा जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,25,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836117 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50001127638 खाता धारक का नाम-"निदेशक, रविन्द्र नाथ टैगोर अन्तर्राष्ट्रीय हृदय विज्ञान संस्थान, मुकुन्दपुर, कोलकत्ता " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम-आर.टी.आई.आई.सी.एस.मुकुन्दपुर,ब्रांच RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212447 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।



विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक,  
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान  
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.02.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	नन्द किशोर साह पिता-स्व. राजापति साव ग्राम-पो०-मंगरांव थाना-नारारीगंज जिला-रोहतास सीआरनं०-2016936021	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	अभिषेक कुमार पिता-शिव चन्द्र कुमार ग्राम-दल्लुचक चरघरवा पो०-थाना खगौल जिला-पटना सीआरनं०-2016907408	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	नुतन कुमारी पति-ब्रजेन्द्र कुमार ग्राम+पो०-रामपुर थाना-मखदुमपुर जिला-जहानाबाद सीआरनं०-2016848633	कैंसर रोग	₹ 40,000/- (चालीस हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,45,000/-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,45,000/- (दो लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836410 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।

31/03/17

प्रेषक,

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,  
अंसारी-नगर, नई दिल्ली।

पटना, दिनांक.....

विषय:—“मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष” से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गणपत सिंह पिता—साहेब राउत ग्राम—भलुआरी पो०—बड़की खसारी थाना—करगहर जिला—रोहतास सीभीनं०—25982 / 15 / 14	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /—(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	गिरिजा देवी पति—अवधेश कुमार गुप्ता ग्राम—न्यु सिधौली, वार्ड नं०—4 पोस्ट—डालगिया नगर थाना—डेहरी जिला—रोहतास सीभीनं०—2815 / 17	हृदय रोग	₹ 85,000 /—(पचासी हजार) स्वीकृत।
3	रोहित कुमार पिता—रामचन्द्र पंडित ग्राम—परसा पो०—बथान परसा थाना—शंकरपुर जिला—मधेपुरा सीभीनं०—30083 / 15	हृदय रोग	₹ 60,000 /—(साठ हजार) स्वीकृत।
4	तपेश्वर मंडल पिता—जगदीश मंडल ग्राम+पो०—बडौनीया थाना—संग्रामपुर जिला—मुंगेर सीभीनं०—29070 / 16	हृदय रोग	₹ 95,000 /—(पनचानवे हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 3,65,000 /—

31/3/17



प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
क्रिश्चीयन मेडिकल कॉलेज  
आई०डी०ए०, स्कुडर रोड  
पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विशाल कुमार पिता-वशिष्ट माली ग्राम-पो०+थाना-खैरा जिला-सारण हौस्पिटल नं०-746430 जी.	मुत्र रोग	₹ 50,000 /- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	प्रमोद कुमार सिंह पिता-ब्रज किशोर सिंह ग्राम-तेलीया पो०-कल्याणपुर थाना-राजापाकर जिला-वैशाली हौस्पिटल नं०-745792 जी.	कैंसर रोग	₹ 80,000 /- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	पुजा भारती पिता-रामानुज कुमार सिन्हा ग्राम-सहमीर तकया पो०-प्रधान डाकघर थाना-सिविल लाईन जिला-गया सी०एम०सी० नं०-663879 जी०	न्युरो रोग	₹ 50,000 /- (पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 1,80,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,80,000 /- (एक लाख अस्सी हजार ) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836703 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।

31/11/17  
3/3/17

सं० सं० 14/एम 11-2/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन  
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मुन्ना अंसारी पिता-चोकट अंसारी ग्राम-खालवा गहिरी पो०-थाना-नौतन जिला-प० चम्पारण सीआरन०-201502552386	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 836701 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

3/3/17

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल  
इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस  
वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	गनौरी साव पिता-मल्लिक चन्द साव ग्राम-रानी बाजार पो०-घटेरा थाना-गुरारू जिला-गया एमआरडीनं०-778489	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	उर्मिला देवी पति-राजेन्द्र गोंड ग्राम-पो०-भेरीया थाना-दुर्गावती जिला-भभुआ, कैमुर एमआरडीनं०-743937	ब्रेन सर्जरी	₹ 1,50,000 /--(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	रजवन्ती देवी पति-मुराली बिन्द ग्राम+पो०-तरैथा थाना-रामगढ़ जिला-भभुआ कैमुर एमआरडीनं०-761472	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /--(एक लाख ) स्वीकृत।
4	रीता देवी पति-अवधेश भगत ग्राम-बुढी बांध पोस्ट+थाना-नवी नगर जिला औरंगाबाद एमआरडीनं०-629494	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /--(एक लाख ) स्वीकृत।

3/3/17

12	आदर्श पिता-जितेन्द्र कुमार पाण्डेय ग्राम-पो0-सोनहुला गोखुल थाना गोपालपुर जिला-गोपालगंज ओ.पी.डीनं0-175 / 17	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
13	उत्तम सिंह पिता-ललन सिंह ग्राम+पो0-सलेमपुर थाना-इसुआपुर जिला-सारण ओ0पी0डीनं0-2486 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 /-(साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 17,80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 17,80,000 /-( सतरह लाख अस्सी हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 83.6400.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 1065 4904 247 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0 /

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख(प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0 83.6400 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0 /-

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 335(14)

पटना दिनांक 06.03.17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ श्री जितेन्द्र कुमार राय मा0 स. वि.स0 मढौरा/ श्री लक्ष्मी नारायण प्र0 यादव मा0 पूर्व स0वि0स0/ श्री श्याम बाबु प्रसाद यादव, मा0 स.वि. स0/ श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह मा0 स0वि0स0/ श्री संतोष कुमार निराला, मा0 मंत्री अनु. जा. अनु. ज0 जा0 क0 विभाग सभी संबंधित मरीज/ आई.टी.मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
श्री. र. सिंह

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल,  
पटना 800004।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	मंजु देवी पति-उदेशी चौधरी ग्राम-विष्णु पट्टी पो०-मरई थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	हिमोजौनीया रोग	₹ 50,000/- (पचास हजार) स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			कुल ₹ 50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 50,000/- ( पचास हजार ) का क्रास चेक सं०.....~~836406~~..... मूल रूप में संलग्न है।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।

विश्वासभाजन


ह०/-

( डा० आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06-03-17

ज्ञापांक 341(14)

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को/आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
11.2.17

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक,

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आस्था लोक हॉस्पिटल,  
प्रोफेसर कालोनी, नीयर केन्द्रीय विद्यालय  
कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	सतोष कुमार मालाकार पिता राजेन्द्र मालाकार ग्राम-तार बंगला पो०-थाना-डिहरी जिला रोहतास	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	मो० नाजीर आलम पिता- रैगाज आलम ग्राम- भीम टोला बारून पो०-थाना-बारून जिला औरंगाबाद	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,00,000/- (एक लाख ) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,50,000/- ( दो लाख पचास हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आर्ड०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836405 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200006844472 खाता धारक का नाम-"आस्था लोक अस्पताल एड रिसर्च सेंटर प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- एच० डी० एफ० सी० बैंक, शाखा का नाम पत्रकार नगर, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

31/11/17  
7/3/17

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद )  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक/अधीक्षक  
फोर्ड हॉस्पिटल, एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०  
रामकृष्णा नगर, पटना, 800027

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कृष्ण मुरारी प्रसाद पिता-स्व. नोनु प्रसाद ग्राम-राजा बाजार पो०+थाना+जिला--जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	चरित्र यादव पिता-पुनाय यादव ग्राम-कोनीपार पो०-दीघडी थाना-सूर्यगढा जिला-लखीसराय	मस्तिष्क रोग	₹ 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	चन्द्र शंखर पंडित पिता-अम्बिका पंडित ग्राम-तीनभेडिया काला पो०-बरहनी बाजार थाना-बडहरीया जिला-सीवान	हृदय रोग	₹ 1,25,000/-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	नरेश यादव पिता-रघु यादव ग्राम-शेखपुरा पो०-कोशी, थाना-रोह जिला-नवादा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
5	मो० अनवर मियां पिता-शुमान मियां ग्राम-पो०-गिलानी थाना-सारे जिला-नालंदा	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।

20/11/17  
3/3/17

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

एस.एस. हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर,  
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	अमृता देवी पति-गुड्डु पासवान ग्राम+पो०-खोपी थाना-जन्दाहा जिला-वैशाली	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	अनुज देवी पति-अशोक साह ग्राम-फुलवारीया बरौनी पो०-बरौनी थाना-फुलवारीया जिला- बेगुसराय	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	अभय शंकर सिंह पिता-स्व. योगेन्द्र सिंह ग्राम-छोटकी धाबा पो०-थाना-एकंगरसराय जिला- नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	प्रमीला देवी पति-लालन कुमार सिंह ग्राम+पोस्ट-परशरमा थाना+जिला- सुपौल	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
5	सुगिया देवी पति-बैजनाथ राय ग्राम-पो०-मुबारकपुर थाना-मढौरा जिला-सारण	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 2,60,000/-

31/5/17



सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं  
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,  
आल इंडिया इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस,  
फुलवारीशरीफ, पटना 801505

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	धर्मशीला देवी पति-भोला प्रसाद ग्राम-जैतीपुर पो०-बडी पैठाना थाना-इस्लामपुर जिला नालंदा	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	देवेन्द्र साह पिता-बिन्देश्वर साह ग्राम-बाजीतपुर पोस्ट-अनन्त कमतौल थाना-कुढगी जिला-मुजफ्फरपुर	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
3	हरेन्द्र राजभर पिता-सीताराम राजभर ग्राम+पो०-कल्याणपुर थाना-भोरे जिला-गोपालगंज	हिप रिप्लेसमेंट	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) स्वीकृत।
4	कल्याणी पिता-संजय बिन्द ग्राम-किशुनगंज पोस्ट-बहरामपुर थाना-धनरूआ जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	बैजनाथी देवी पति-ओम प्रकाश सिंह ग्राम-महुली पो०-कोठीया थाना-दीदारगंज जिला-पटना	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

3/3/17

प्रेषक

डा. आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)डा०

सेवा में,

निदेशक,  
हार्ट हॉस्पिटल लिमिटेड (चन्द्रालय)  
कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्र०सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	विष्णु यादव पिता-रघु प्रसाद यादव ग्राम-पो०-गोलहट्टी थाना-बौसी जिला-बांका	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	मीना देवी पति-सुनील शर्मा ग्राम-पो०-कैथी सिरो थाना-गोह जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	उदय कुमार महतो पिता-रामवतार महतो ग्राम-पो०-मलीया थाना-चानन जिला-लखीसराय	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
4	राजेश कुमार पिता-चनारीक यादव ग्राम-पीपराही पो०+थाना-रफीगंज जिला-औरंगाबाद	हृदय रोग	₹ 50,000 /-(पचास हजार) स्वीकृत।
5	परशुराम सिंह पिता-प्रताप सिंह ग्राम-पो०-बैकुंठपुर थाना-राजापाकर जिला-वैशाली	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
6	जगरनाथ पाल पिता-बास रोपन पाल ग्राम-पो०-करनामेपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर	हृदय रोग	₹ 1,25,000 /-(एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।

21/11/17  
3/3/17

प्रेषक

डा० आजाद हिन्द प्रसाद  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,

श्री साई अस्पताल कंकड़बाग

लोहिया नगर पटना 800020

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	राधिका देवी पति-अंगद कुमार ग्राम+पो०+थाना-दनियावा जिला-पटना	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	डब्लु कुमार यादव पिता-उजागर यादव ग्राम+पो०-रघुनाथपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला- बेगुसराय	स्पाईनल सर्जरी	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
			कुल रु 2,50,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 836104 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 440720110000219 खाता धारक का नाम-"अखिलेश कुमार सिंह हौस्पिटल प्रा० लि०" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर० एन० कालोनी ब्रांच पटना-16, RTGS/IFSC कोड सं० BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

3/3/17

विश्वासभाजन

ह०/-

( डा. आजाद हिन्द प्रसाद)  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा० लि०

कंकड़बाग, पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	पुनम देवी पति-नारायण यादव ग्राम+पो०-चित्ती थाना-घैलाढ जिला-मधेपुरा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
2	सत्य नारायण सिंह पिता-स्व. ध्यान सिंह ग्राम-उंटा मदारपुर गलीनं०-3 पो०+थाना+जिला-जहानाबाद	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
3	राजेन्द्र प्रसाद पिता-स्व० वंशी प्रसाद ग्राम-रजवा पो०-पिलिछ थाना-हिलसा जिला-नालंदा	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत।
4	शोभा देवी पति-सरोज ठाकुर ग्राम-भटौलीया पो०-गिदधा थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।
5	राजीव कुमार पिता-कुशेश्वर सिंह ग्राम-पो०-डेवां थाना-कादीरगंज जिला-पटना 31/4/17 3/3/17	हृदय रोग	₹ 45,000/- (पैंतालीस हजार) स्वीकृत।

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०.....836399.....की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

ज्ञापांक 334(14)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06.03.17

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ सभी संबंधित मरीजों का/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.3.17

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार, पटना

प्रेषक

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक/अधीक्षक  
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,  
शेखपुरा, पटना-14।

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कृष्णा देवी पति-रामेश्वर राम ग्राम+पो०-मुरौवतपुर थाना-देसरी, जिला-वैशाली, सीआरनं०-188149/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	स्वाती देवी पति-सुभाष तुरी ग्राम-बंशी तरौनी पो०-कुकरौन-2 थाना-धमदाहा जिला-पूर्णिया सीआरनं०-014794/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	दुर्गावती देवी पति-ब्रह्मा प्रसाद ग्राम-पो०-मेरही थाना-एम०एच० नगर जिला-सीवान सीआरनं०-003056/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	मो० सतार अंसारी पिता-मो० कमल अंसारी ग्राम-रामपुर डेहरू पोस्ट-रहुआ थाना-बिहारीगंज जिला-मधेपुरा सीआरनं०-004307/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

7/10/17  
3/3/17

12	पुतली खातुन पति-मो० सफीकुल ग्राम-मोहनपुर पो०-गांजन, थाना-बारसोई जिला-कटिहार सीआरन०-000305 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
13	सोना देवी पति-दिनेश पाण्डेय ग्राम-गोविन्दा कॉम्प्लेक्स, गोविन्द मित्रा रोड, पो०-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना सीआरन०-178911 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
14	आलोक राम पिता-रामवतार राम ग्राम-दौलतपुर पो०-थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर सीआरन०-185737 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
15	कलावती देवी पति-विरेन्द्र कुमार सिंह ग्राम-पैगम्बरपुर, हुस्सेपुर पो०-पैगम्बरपुर थाना-सकरा जिला-मुजफ्फरपुर सीआरन०-015714 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
16	सोना देवी पति-सत्य नारायण प्रसाद ग्राम-जगदीशपुर पोस्ट-लच्छी कैतुका थाना-मकरे जिला-सारण सीआरन०-171803 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
17	मोफीद आलम पिता-मो० याकुब ग्राम-पो०-पोखरेशा थाना-नानपुर जिला-सीतामढ़ी सीआरन०-118629 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
18	सोनी देवी पति-सुरेन्द्र सिंह ग्राम-मीठापुर पो०-'लई थाना-बिहटा जिला-पटना सीआरन०-009583 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

31/3/17

26	शनिचरी देवी पति-महेन्द्र यादव ग्राम-पो0-जयनगर थाना-भरगामा जिला-अररिया पंजी/ओ0पी.डी/033594/16	कैंसर रोग	₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
27	पुष्पा देवी पति-देवानन्द पाण्डेय ग्राम-सिकरिया पोस्ट-तारानगर थाना-बिहटा जिला-पटना सीआरनं0-000142/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
28	चुमचुम देवी पति-दिनेश सिंह ग्राम-मीठापुर पोस्ट-लई थाना-बिहटा जिला-पटना सीआरनं0-026838/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
29	रंजु देवी पति-स्व. नरेश लाल ग्राम-पो0-शिवदाहा बरैल थाना-गाय घाट जिला-मुजफ्फरपुर पंजी/ओ.पी.डी/095817/14	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
30	सरिता देवी पति-लालकेश्वर यादव ग्राम-नदीऔना खरजमा पो0-दहपर थाना-नुरसराय जिला-नालंदा सीआरनं0-193855/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
31	राजो देवी पति-अशोक मंडल ग्राम-आ0एस0 टैंक, नवटोलीया पो0-लहेरिया सराय थाना-बहादुरपुर जिला-दरभंगा सीआरनं0-192576/16	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
32	रामचन्द्र राय पिता-स्व. सुदई राय ग्राम-पो0-रक्सा थाना-करजा जिला-मुजफ्फरपुर पंजी/ओ0पी0डी/021281/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/17  
3/3/17



40	विजय यादव पिता-स्व. पतिराम राय ग्राम-गोपालपुर पो0-बड़गांव थाना-के0 स्थान जिला-दरभंगा सीआरनं0-175932 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
41	आशा देवी पति-नागेश्वर राय ग्राम-चकबरुआ पो0-विदुपुर थाना-राजापाकर जिला-वैशाली सीआरनं0-018545 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
42	गायत्री देवी पति-बासुदेव राय ग्राम-बुचेया पो0-थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगंज सीआरनं0-014954 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
43	फुलमन्ती देवी पति-राजेन्द्र दास ग्राम-साकल पो0-थाना-लक्ष्मीपुर जिला-जमुई सीआरनं0-008108 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
44	लालबाबु साव पिता-लक्ष्मण साव ग्राम-मुन्नाचक पो0-लोहिया नगर थाना-पत्रकार नगर जिला-पटना सीआरनं0-000060 / 17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
45	प्रभु दयाल मंडल पिता-शीलधर मंडल ग्राम-कल्याणपुर पोस्ट-सलेमपुर थाना-अमरपुर जिला-बांका सीआरनं0-187532 / 16	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।
46	इसरत जान पति-फजले रब ग्राम+पो0-मियां के भटकन थाना-आन्दर जिला-सीवान सीआरनं0-185786 / 16  21/11/17 3/3/17	कैंसर रोग	₹ 60,000 / -(साठ हजार) स्वीकृत।

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 31,90,000/- (एकतीस लाख नब्बे हजार ) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० ~~836398~~.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं० शेखपुरा पटना 800014 " खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- इलाहाबाद बैंक, शाखा का नाम - पटना, RTGS/IFSC कोड सं० ALLA0212284 में अंतरित किया जाता है।
3. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।  
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।
4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. आपके संस्थान को स्वीकृत राशि ससमय उपलब्ध हो जाती है। संस्थान द्वारा मरीजों से स्वीकृत्यादेश की प्रति मांगी जाती है, जो कि अनावश्यक एवं चिन्ता जनक है। रोगी का नाम एवं पंजीकरण सं० मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ की जा सकती है। स्वीकृत्यादेश की प्रति अपने नोटिस बोर्ड/वार्ड में दर्शाया जाय। यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि हो या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ करें। अनावश्यक रोगियों को परेशान नहीं किया जाय।  
मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख आपके द्वारा दिये जानेवाले उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है, परंतु आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा है। इससे वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय, बार-बार प्राक्कलन निर्गत नहीं किया जाय। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा. आजाद हिन्द प्रसाद)

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०...~~836398~~...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कान्डिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 333(14)

पटना, दिनांक 06.03.17

प्रतिलिपि-लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में )/ श्री आलोक कुमार मेहता मा० मंत्री सहायिका विभाग /आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/11/17  
निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सं० सं० 14/एम 11-1/16  
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
बिहार,पटना

प्रेषक

निदेशक प्रमुख (प्रशासन)  
सेवा में,  
निदेशक  
महावीर कैंसर संस्थान,  
फुलवारीशरीफ, पटना।

पटना, दिनांक.....

विषय:-"मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकत समिति की दिनांक 22.2.17 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित 92 मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	रामप्रीत राम पिता-चलितर राम ग्राम-पोस्ट-बड़ा सुमेरा थाना-कुढ़नी जिला-मुजफ्फरपुर एम.सी.एस-ई. 8756	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
2	सावित्री देवी पति-भोला नाथ यादव ग्राम-प्राणपुर पोस्ट-सावना थाना-बड़हरीया जिला-सीवान एम.सी.एस-ई 9057	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
3	अरविन्द कुमार सिंह पिता-सिधेश्वर सिंह ग्राम+पो०-लाव थाना-टिकारी जिला-गया एम.सी.एस-ई 7650	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
4	निलम देवी पति-सुरेन्द्र तिवारी ग्राम-सहादी पो०-पुरैना थाना-अमनोर जिला-सारण एम.सी.एस-ई. 7926	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

1

3/3/17

12	प्यारी देवी पति-सरयुग पासवान ग्राम-पलसा बुजुर्ग पो0-आढा, थाना-चन्द्रदीप जिला-जमुई एम.सी.एस-ई. 5213	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
13	अशोक कुमार सिंह पिता-स्व. राम नगीना सिंह ग्राम-सकरी पो0+थाना-कुदरा जिला-भुभुआ, कैमुर एम.सी.एस-ई. 8835	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
14	हीरामती देवी पति-परमेश्वर महतो ग्राम-साढा खेमाजी टोला पो0-साढा थाना-मुफसिल जिला-सारण एम.सी.एस-ई. 7556	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
15	दरबी देवी पति-दिनेश यादव ग्राम-रजौराडीह पो0-रैयाम फैक्ट्री थाना-रैयाम, जिला-दरभंगा एम.सी.एस-ई. 9633	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
16	राधे प्रसाद जयसवाल पिता-स्व. भगवान प्र0 जयसवाल ग्राम-मुंगेरीगंज पो0-थाना+जिला-बेगुसराय एम.सी.एस-ई.8373	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
17	बृज नन्दन राय पिता-दामोदर राय ग्राम+पो0-रूसतमपुर थाना-राघोपुर जिला-वैशाली एम.सी.एस-डी0 95151	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
18	मो0 ईशा अंसारी पिता-स्व0 मो0 युसुफ ग्राम-राघोनगर पो0-भौआड़ा थाना-जिला-मधुबनी एम.सी.एस-ई. 4291	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।
19	इसरत परवीन पति-मो0 वकील अहमद ग्राम-मीर टोला वार्ड नं0-7 पोस्ट-थाना-जिला-सहरसा एम.सी.एस-ई. 3672	कैंसर रोग	₹ 60,000 /--(साठ हजार) स्वीकृत।

31/11/17  
3/3/17

27	संजीत कुमार पिता-रामवृक्ष चौपाल ग्राम-पो0-ब्रहमपट्टी थाना-बहेड़ा जिला-दरभंगा एम.सी.एस-ई. 8615	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
28	गंगीया देवी पति-मोहन मुखिया ग्राम-पो0-नदीयामी थाना-के0 स्थान जिला-दरभंगा एम.सी.एस-ई. 7377	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
29	रंभा देवी पति- प्रभु पासवान ग्राम+पो0-हरिराही थाना-बी0 कोठी जिला-पूर्णिया एम.सी.एस-ई. 7245	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
30	गुड्डी देवी पति-गुड्डु प्रसाद ग्राम-मांझी थाना बाजार पो0+थाना-मांझी जिला-सारण एम.सी.एस-ई. 9390	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
31	इसरत खातुन पति-औरंगजेब अंसारी ग्राम-पो0+थाना-कलेर जिला-अरवल एम.सी.एस-ई. 8987	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
32	खैरून निशा पति-मो0 नुर आलम ग्राम-डुंगुर पट्टी पो0+थाना-बनियापुर जिला-सारण, छपरा एम.सी.एस-ई. 8413	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
33	गणेश यादव पिता-सत्य नारायण यादव ग्राम-रघुनाथपुर पो0-अजगैवा, थाना-सौर बाजार जिला-सहरसा एम.सी.एस-ई. 5969	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
34	गंगा देवी पति-राजेन्द्र प्रसाद चौरसया ग्राम+पो0-फतेहपुर फुलवरीया थाना-सराय जिला-वैशाली एम.सी.एस-ई. 9111	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

21/11/17  
2/3/17

42	मनोज चौधरी पिता-रामचन्द्र चौधरी ग्राम+पो0+थाना-गोरौल जिला वैशाली एम.सी.एस-ई. 4898	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
43	रवि कुमार पिता-कैलाश ठाकुर ग्राम-कैथा पो0-बेल थाना-फुल्लीडुमर जिला-बांका एम.सी.एस-ई. 9041	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
44	मदीना खातुन पति-माजीद अंसारी ग्राम-थालीखुर्द पो0-सुघडी थाना-गोविन्दपुर जिला-नवादा एम.सी.एस-ई. 2998	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
45	प्रमोद कुमार पिता-देव नन्दन सिंह ग्राम-बडी टेंगरैला पो0-शहर रामपुर थाना-नौबतपुर जिला-पटना एम.सी.एस-ई. 4361	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
46	ललीया देवी पति-स्व. रूद्रा नन्दन मंडल ग्राम-पहाड़पुर पो0+थाना-डंडखोरा जिला-कटिहार एम.सी.एस-ई. 8132	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
47	वशिष्ट सिंह पिता-देव राज सिंह ग्राम-पो0-जमसड़ थाना-उचका गांव जिला-गोपालगंज एम.सी.एस-ई. 893	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
48	उषा कुमारी देवी पति-अशोक कुमार सदा ग्राम-काशिमपुर पो0-दिनमो थाना-के0 स्थान जिला-दरभंगा एम.सी.एस-ई. 7507 31/11/17	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

56	सीमा कुमारी पति-दिनेश कुमार वर्मा ग्राम-कलामंच बाकरगंज पो0-बांकीपुर थाना-कदमकुंआ जिला-पटना एम.सी.एस-ई 8365	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
57	जितु राम पिता-दसई राम ग्राम-रामकृष्ण दुबीयाही पो0-दुबीयाही थाना-सरैया जिला-मुजफ्फरपुर एम.सी.एस-ई 7179	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
58	दीनानाथ राय पिता-द्वारिका राय ग्राम-पो0-कैतुका नन्दन थाना-मकेर जिला-सारण एम.सी.एस-ई 7457	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
59	जयराम प्रसाद पिता-बुन्दी प्रसाद ग्राम-दाहाघाट पो0-मैजरा थाना-वेन जिला-नालंदा एम.सी.एस-डी0 96576	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
60	रीना देवी पति-ओम प्रकाश भारती ग्राम+पो0-ढोरलाही कैथल थाना-अमनौर जिला-सारण एम.सी.एस-ई. 9448	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
61	मुन्नी देवी पति-बिन्दा लाल प्रसाद ग्राम+पो0+थाना-असौव जिला-सीवान एम.सी.एस-ई. 8250	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
62	प्रसाद मंडल पिता-धनकेसर मंडल ग्राम-मुसहरनीया पोस्ट-रतनसारा थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी एम.सी.एस-ई.6226	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।

11/11/17

70	मो. तजीम पिता-मो० इसराईल ग्राम-बलहा पोस्ट-नौडेगा थाना-बिरौल जिला-दरभंगा एम.सी.एस-ई.9008	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
71	पार्वती देवी पति-विक्रमा सिंह ग्राम+पोस्ट-भदार थाना-सिकरौल जिला-बक्सर एम.सी.एस-ई. 7965	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
72	पालो मंडल पिता-सरयुग मंडल ग्राम-बथनाहा पोस्ट-किशनपुर रतवारा थाना-रतवारा जिला-मधेपुरा एम.सी.एस-ई.9214	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
73	चानो देवी पति-राम मिलन पासवान ग्राम-अहियारी गोट पो०-अहियारी थाना-कमतोल जिला-दरभंगा एम.सी.एस-ई. 7952	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
74	लाल मुनी देवी पति-भुअर सिंह ग्राम-डिलीया पोस्ट-मसुढी थाना-जगदीशपुर जिला-भोजपुर एम.सी.एस-ई. 8843	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
75	दया सुन्दरी देवी पति-अर्जुन यादव ग्राम-पो०-सोनसा थाना-सिंघीया जिला-समस्तीपुर एम.सी.एस-ई. 7883	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।
76	संजीला खातुन पति-मो० रैसुददीन ग्राम-ताजखंड पो०-जलकी थाना-आजमनगर जिला-कटिहार एम.सी.एस-ई. 8880	कैंसर रोग	₹ 60,000/- (साठ हजार) स्वीकृत।



84	राम बालक महतो पिता-महेश महतो ग्राम-पो0-दलदल थाना-भेजा जिला-मधुबनी एम.सी.एस-ई. 9263	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
85	बिशुनदेव यादव पिता-भोला यादव ग्राम-पो0-सिझौरी थाना-सिकन्दरा जिला-जमुई एम.सी.एस-ई. 8057	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
86	बुज मोहन केसरी पिता-लक्ष्मण साह ग्राम-बस्तलवा पोस्ट-कथराई थाना-करगहर जिला-रोहतास एम.सी.एस-ई. 8264	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
87	अनार देवी पति-चन्द्र महतो ग्राम-नवी नगर पो0+थाना-दीप नगर जिला-नालंदा एम.सी.एस-ई. 6837	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
88	अखिलेश कुमार पिता-अशोक प्रसाद ग्राम-पावापुरी गोवरैया पो0+थाना-कौवाकोल जिला-नवादा एम.सी.एस-ई. 9432	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
89	शेखु रानी देवी पति-हरि लाल पासवान ग्राम-परशुरामपुर पो0-मुरारपुर थाना-तुरकौलीया जिला-पूर्वी चम्पारण एम.सी.एस-ई. 9049	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।
90	कमलेश कुमार मांझी पिता-अर्जुन मांझी ग्राम-भंवरपोखर पो0-बांकीपुर थाना-पीरबहोर जिला-पटना एम.सी.एस-ई. 5727	कैंसर रोग	₹ 80,000 /-(अस्सी हजार) स्वीकृत।

20/11/17  
3/3/17